

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

संचिका संख्या :- 15/खा०-46-15/2023.....

पटना/दिनांक -.....2025

बिहार खाद्य संरक्षा संवर्ग के अंतर्गत पदस्थापित/कार्यरत खाद्य संरक्षा अधिकारियों का विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता से विमुक्ति एवं सेवा सम्पुष्टि से संबंधित निर्गत विभागीय आदेश- 356(15), दिनांक- 19.03.2025 के क्र०सं०-9 में अंकित श्री अशोक कुमार सिन्हा के नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में टंकण भूलवश 15.12.1967 के स्थान पर 15.12.1970 तथा स्तम्भ-4 में 14.12.2017 के स्थान पर 14.12.2020 अंकित हो गया है।

अतः विभागीय आदेश- 356(15), दिनांक- 19.03.2025 के क्र०सं०-9 के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित तिथि 15.12.1970 के स्थान पर 15.12.1967 तथा स्तम्भ-4 में अंकित तिथि 14.12.2020 के स्थान पर 14.12.2017 पढ़ा जाय।

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगे।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(कृष्णा उरॉव)

सरकार के उप सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 15/खा०-46-15/2023 U.35(15) पटना/दिनांक - 22/03/2025

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सचिव, स्वास्थ्य -सह- खाद्य संरक्षा आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - उप सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी खाद्य संरक्षा अधिकारी -सह- अभिहित अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।